

पत्रांक-1/विविध-824/2013 का.- 5163
झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

प्रेषक,

निधि खरे
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक 21-6-2016

विषय : क्षतिपूरक अवकाश के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों एवं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए क्षतिपूरक अवकाश के सम्बन्ध में उपलब्ध प्रावधानों को निम्नवत् परिचारित किया जाता है -

- 1) अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में प्रावधान :- "अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को छुट्टी की देयता The All India Services (Leave) Rules, 1955 से निदेशित है। इस नियमावली में क्षतिपूरक छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। अतः अखिल भारतीय सेवा के पदाधिकारियों को क्षतिपूरक छुट्टी देय नहीं है।"
- 2) राज्य के सरकारी सेवक के सम्बन्ध में प्रावधान :-
 - वित्त विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-14636 दिनांक 30.11.1972 के द्वारा राज्य के सभी सरकारी कर्मियों के क्षतिपूरक छुट्टी की सुविधा देय है।
 - यह क्षतिपूरक छुट्टी विशेष परिस्थितियों में खास तौर पर आपत्तिक रिलिफ, धार्मिक त्योहार और आपातकालीन एवं अन्य अवसरों पर सार्वजनिक छुट्टी की अवधियों में लोक सेवा की आवश्यकता पर किसी सरकारी सेवक को ड्यूटी पर रखे जाने पर उन्हें देय है।
 - किसी भी पंचांग वर्ष में क्षतिपूरक की अधिकतम सीमा 20 दिन है।
 - किसी भी सरकारी सेवक को क्षतिपूरक छुट्टी एक साथ 12 दिनों से अधिक अवधि के लिए देय नहीं है।


- यह छुट्टी विशेष आकस्मिक छुट्टी की प्रकृति की है, जिसमें सरकारी सेवक को आकस्मिक छुट्टी की तरह कर्तव्य पर माना जाता है।
- क्षतिपूरक छुट्टी देने का अधिकार सम्बन्धित कर्मियों को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार रखने वाले पदाधिकारी को प्रदत्त है।
- क्षतिपूरक छुट्टी अन्य सरकारी घोषित छुट्टी, आकस्मिक अवकाश एवं रविवार के साथ मिलाकर एक बार में अधिकतम 12 दिनों तक दी जा सकती है।
- क्षतिपूरक छुट्टी का किसी पंचांग वर्ष के दूसरे वर्ष में एक वर्ष के अन्दर ही उपभोग किया जा सकता है।

उपर्युक्त प्रावधानों के तहत क्षतिपूरक छुट्टी स्वीकृत करने के क्रम में छुट्टी स्वीकृत करने वाले पदाधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर साक्ष्य प्राप्त करके ही क्षतिपूरक छुट्टी स्वीकृत करना चाहिए।

- क) सार्वजनिक अवकाश की तिथि, जिसमें सम्बन्धित कर्मों द्वारा कार्य किया गया हो, को कार्यालय खोले जाने सम्बन्धी आदेश की प्रति अथवा कर्मों की ड्यूटी सम्बन्धी आदेश।
- ख) सम्बन्धित कर्मों का उक्त तिथि को कार्यालय आने एवं कार्यालय से जाने के साक्ष्य के रूप में बायोमैट्रिक उपस्थिति की प्रति, जहाँ यह सुविधा उपलब्ध हो।

अनुरोध है कि क्षतिपूर्ति अवकाश की स्वीकृति में उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

 21/6/16
(निधि खरे)

सरकार के प्रधान सचिव।